



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12265

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29205 वर्ष 2025

शुभम निषाद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

इरशाद अहमद, नामित श्रीवास्तव, पारुल श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, जयेंद्र कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद एवं श्री नामित श्रीवास्तव की ओर से तर्क प्रस्तुत कर रहे मोहम्मद फैज़, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री जयेंद्र कुमार मिश्रा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना-नैनी, जिला- प्रयागराज में **मुक़दमा अपराध संख्या 183 वर्ष 2025**, अंतर्गत धारा 103(1), 351(2), 309(4), 317(2), 3(5) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। मुखबिर और अन्य गवाहों का न्यायालय में पीडब्ल्यू-1, 2 और 3 (P.W. 1, 2 & 3) के रूप में परीक्षण किया गया है और उन्होंने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया है। वे विवेचक (I.O.) को दिए गए अपने पिछले बयानों और एफआईआर के आरोपों से पूरी तरह मुकर गए हैं। गवाहों को पक्षद्रोही (hostile) घोषित करने के बाद लोक अभियोजक द्वारा उनसे जिरह की गई है। इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में दोषसिद्धि (conviction) की कोई संभावना नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक दिनांक 29.04.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के नाम निर्दिष्ट सात मामलों के आपराधिक इतिहास को शपथ-पत्र में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्ट कर दिया गया है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि गवाह पक्षद्रोही (hostile) हो गए हैं।
7. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 INSC 690** तथा **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** में प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- **शुभम निषाद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
- iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।